

न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी : स्वाति आर.टी.एस
मिसल नं.- 45/2023
सरकार बनाम कर्ण सिंह पुत्र भोलाराम, जाति जाट निवासी
नेतरामपुरा तहसील सुरजगढ

किस्म मुकदमा-अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक: 07.07.2023

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। इस प्रकरण में सक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल कर्ण सिंह पुत्र भोलाराम, जाति जाट निवासी नेतरामपुरा तहसील सुरजगढ द्वारा रोही मौजा नेतरामपुरा की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 39 के कुल रकबा 10.33 है गै. मु. जोहड में से 0.12 है 0 पक्का मकान एवं तार बाड़ करके अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गयी। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया। गैर सायल का जवाब संतोषजनक नहीं माना जा सकता है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरुद्ध बेदखल करने के आदेश दिए जाते हैं। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 27 रूपए कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवायी जावे। पटवारी/गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतू लिखा जावे। मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(स्वाति)

तहसीलदार, सूरजगढ

23-24

16
27/1
